Lec-22
Dr. Parikshit Kr Singh (1)
Dept. of LSW
SNSRKS College, Saharsa

कारखाना अधिनियम 1948

नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति

(Employment of young persons)

कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय 7 वें की धारा 67 से 77 में नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो निम्नलिखित वर्णित है -

(1) युवा बालकों की नियुक्ति पर प्रतिषेध (Prohibition of employment of young children)-

जिन बालकों ने अपने आयु का 14 वाँ वर्ष पूरा नहीं किया है, किसी भी कारखाना में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) नवयुवकों द्वारा टोकन रखना (Non-adult workers to carry tokens)

बालक, जिन्होंने अपनी आयु का 14वाँ वर्ष पूरा कर लिया है या किशोर (जिन्होंने अपनी आयु का 15 वाँ वर्ष पूरा कर लिया है परन्तु 18 वाँ पूरा नहीं किया है) तबतक किसी कारखाना में काम नहीं लिया जायगा जबतक उसके सामर्थ्य का प्रमाण पत्र धारा 69 के अनुसार कारखाना के प्रबंधक के पास जमा न हो, तथा उसकी एक प्रति टोकन के रूप में नवयुवकों के पास न हो।

(3) अनुकूलता का प्रमाणपत्र (certificate of fitness)

प्रत्येक नवयुवक श्रमिक को चिकित्सक द्वारा दिया गया अनुकूलता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

अनुकूलता के प्रमाण पत्र की वैधता निर्गमन की तिथि से 12 महीने तक वैध रहेगा। 12 महीने की अवधि के पूर्व भी चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुकूलता का प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। अनुकूलता के प्रमाण पत्र के लिए फीस कारखाना के कब्जेदार द्वारा अदा किया जायेगा।

(4) किशोर को प्रदत्त अनुकूलता के प्रमाण पत्र का प्रभाव (Effect of certificate of fitness granted to adolescent)

किसी कारखाना में जिस किशोर को एक वयस्क श्रमिक के रूप में अनुकूलता का प्रमाण पत्र दिया गया हो, उसे अधिनियम के अध्याय (vi, viii) के समस्त उद्देश्यों के लिए एक वयस्क श्रमिक समझा जायेगा।

किशोरों (adolescent) (महिला तथा पुरुष) को 6am से 7 pm के बीच ही काम करने की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार की अनुमति से किशोरों से 5am से 10pm तक काम लिया जा सकता है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में महिला किशोरों की नियुक्ति 10pm से 5am के बीच नहीं की जायेगी। आपात कालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति ने इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

(5) बालकों के लिए काम के घण्टे (Working hours for Children)

किसी भी कारखाना में बालकों से किसी भी दिन 4.5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है तथा रात्रि में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

अर्थात् 10 pm से 6 am के बीच नियुक्त नहीं किया जायेगा। बालकों के काम की अवधि दो पालियों में रहेगी तथा एक पाली समाप्त होने के बाद दूसरी पाली में काम नहीं लिया जायेगा। प्रत्येक पाली का विस्तार 5 घंटे से अधिक नहीं होगा, तथा बालक सिर्फ समूह में ही काम करेंगे। समूह में परिवर्तन एक माह में सिर्फ एक बार ही हो सकेगा। बालकों के दोहरे रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी बालिग से सिर्फ 8 am से 7 pm के बीच ही काम लिया जा सकेगा।

(6) बालकों के लिए कार्य की अवधियों की सूचना (Notice of periods of work for children)

प्रत्येक कारखाना में धारा 105 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार बालकों के लिए कार्य की अवधियों की सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा उसे हर समय रखा जायेगा। सूचनाएँ अंग्रेजी अथवा ऐसी भाषा में होगी, जो कारखानों के बहुसंख्यक बालकों द्वारा समझी जाती है। ये सूचनाएँ सुविधाजनक स्थानों पर भी चिपकाई जायेगी। कार्य अवधियों के निर्धारण पहले से ही धारा 61 में वर्णित रीति के अनुसार कर लिया जायेगा। कार्य अवधियों के प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। सूचना में कोई भी परिवर्तन कारखाना निरीक्षक की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

(7) बालक श्रमिकों का रजिस्टर (Register of child workers)

प्रत्येक कारखाना का प्रबन्धक बालक श्रमिकों का एक रजिस्टर रखेगा, जो कार्य के घंटों के दौरान कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहेगा। जिसमें निम्न विशेष सूचनाओं का उल्लेख आवश्यक है —

Scanned with CamScanner

(a) कारखाना के प्रत्येक बालक श्रमिक का नाम

(b) काम की प्रकृति

(c) उस समूह का नाम जिसमें उसे सम्मिलित किया गया है।

(d) समूह के पालियों का नाम

(e) अनुकूलता संबंधी प्रमाण पत्र का नंबर जो धारा 69 के अन्तर्गत बालक श्रमिक को दिया जाता है। रजिस्टर में प्रमित बालक श्रमिकों से ही काम लिया जाएगा। रजिस्टर के प्रारूप का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है।

(8) कार्य की अवधियों की सूचना रजिस्टर के आदेशानुसार होना (Hours of work to correspond with notice under sec 62)

अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत कार्य-अवधि की सूचना तथा धारा 73 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में की गई बालक श्रमिकों की प्रविष्टियों के विपरीत किसी बालक श्रमिक से काम नहीं किया जाएगा।

(9) डाक्टरी जाँच का आदेश देने का अधिकार (Power to require medical examination)

अनुकूलता प्रमाण-पत्र के रोक कार्यरत नवयुवक अथवा अनुकूलता प्रमाण पत्र रोकि कार्यरत नवयुवक की डाक्टरी जाँच कारखाना निरीक्षक के आदेश पर प्रबंधक कभी भी करा सकता है।

(10) नियम बनाने का अधिकार (Power to make rules)-

अनुकूलता प्रमाण पत्रों के संबंध में शारीरिक स्तर निर्धारित करने के संबंध में चिकित्सकों की कार्यविधि कार्यालय पालन तथा शुल्क भुगतान आदि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

(11) कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन (Certain other provisions of law not barred)

इस अध्याय के प्रावधान बालकों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिनियम 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

Scanned with CamScanner